तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
07/05/014	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, बिसर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 19-06-2014 को पेश हों।	
19-06-14	वादी पक्ष उपस्थित। जवाब पेश हेतु समय चाहते हैं, ~~पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, बिसर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से~~ पत्रावली आयन्दा दिनांक 06-08-2014 को पेश हों।	
06-08-14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, बिसर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 22-09-2014 को पेश हों।	
22/09/14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, बिसर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/10/2014 को पेश हों।	
27/10/14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, बिसर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 20/11/2014 को पेश हों।	
20/11/14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, बिसर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 29-12-2014 को पेश हों।	
29-12-14	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, बिसर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 16-02-2015 को पेश हों।	
16-02-15	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, बिसर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 23-04-2015 को पेश हों।	
23-04-15	वादी पक्ष उपस्थित। जवाब पेश करने का समय चाहते हैं, समय दिया जाता है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29-04-2015 को पेश हो।	
29-04-15	सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय सासलाई के कन्द पर दिनांक 10-06-15 को पेश हो।	
10-06-15	पत्रावली ~~[illegible]~~ अदालत सरपंच सेवा केन्द्र सासलाई पर पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। वकील प्रति० सं०2 पूनाराम स्वयं उपस्थित। वकील प्रति०सं०2 पूनाराम ने प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी ने	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रति० सं० 1 नारायण एवं प्रति० सं० 3 रूपाराम के पक्ष में ख० नं० 967 रकबा 20 बीघा एवं ख० नं० 967/1 रकबा 62=08 बीघा की 1/2 हिस्से की कुल राशि 51=04 की कुल राशि का अदान किया है। यानि वादी को नारायण अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का अदान प्रतिवादी सं० 1 व 3 के पक्ष में कर दिया है। जिसकी रजिस्ट्री की नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं० 2 पूनाराम ने रजिस्ट्री कानीलेशन का दावा सिविल कोर्ट में कर रखा है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष पंजी बद्ध हस्तांतरण का व्यापनपूर्वक खण्डन कर गलत तथ्य प्रस्तुत राजस्व दस्तुत: वाद-पत्र के संलग्न प्रस्तुत राजस्व के कर जमाबन्दी सम्वत 2065-66 में ख० नं० 967 व 967/1 की राशि के वादी खातेदार यथावत दर्ज होना साबित है किन्तु पंजी बद्ध हस्तांतरण संख्या 201100015829 दि० 24-06-2011 अनुसार सम्पूर्ण राशि प्रति० सं० 1 व 3 के नाम लिखित की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र प्रति० सं० 2 पूनाराम के पक्ष में रजिस्ट्री के निरस्त का वाद सिविल कोर्ट में लम्बित है, उल्लेख किया है। तथापि पंजी बद्ध हस्तांतरण अनुसार हक व अधिकार सम्बन्धित रेकॉर्ड से वादी का वाद अन्तर्गत 188 RT Act के प्रस्तुत उक्त वाद में सुनवाई निरस्या की पात्रित नहीं की जा सकती है। लिहाजा वादी का वाद खारिज होने से खारिज किया जाता है कि पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करेंगे। आज दिनांक 13/12/2023 को सुनाया जाकर सामिल मिसल किया गया। पक्षकारों को जाबता शामिल हकतरफ/खारिज मुताबिक जाबता हो।	

Scanned by CamScanner